



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट - कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक :-21.09.2024

कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा सट्टे की खाईबाड़ी करने वाले 05 अभियुक्तगण को कुल 2730 रूपये 05 अदद पैन व 05 अदद सट्टा पर्ची सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर/ अमृतपुर श्री रवीन्द्रनाथ राय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मुखविर की सूचना पर 05 व्यक्तियों को सट्टे की खाईबाड़ी करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा जामा तलाशी से कुल 2730 रूपये 05 पैन व 05 सट्टा पर्ची बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 304/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम का पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. मोहित दीक्षित पुत्र अखिलेश दीक्षित निवासी मोहल्ला पक्का पुल कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
2. अखिलेश दीक्षित पुत्र स्व० विश्वनाथ निवासी मोहल्ला पक्का पुल कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
3. मन्नु चौहान पुत्र श्रीप्रकाश चौहान निवासी सहाबगंज नारायणदास कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
4. राकेश पुत्र हरिशचन्द्र निवासी मोहल्ला अमीन खां कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
5. राधाकृष्ण पुत्र रामरतन निवासी मोहल्ला अमीन खां कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।

पूछताछ का विवरण:- सभी अभियुक्तगण एक स्वर में अपनी गलती की मांफी मांगते हुए अपनी सफाई मा० न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से देना बताया।

घटना का विवरण:- अभियुक्तगण द्वारा छोटी जेल चौराहा से सेन्ट्रल जेल चौराहे जाने वाली सड़क पर गोल भट्टे पर बने कमरे के पास के पास सट्टे की खाईबाड़ी की जा रही थी। मुखविर सूचना पर मुखविर की सूचना पर छोटी जेल चौराहा से सेन्ट्रल जेल चौराहे जाने वाली सड़क पर गोल भट्टे पर बने कमरे के पास से 05 व्यक्तियों को सट्टे की खाईबाड़ी करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा जामा तलाशी से कुल 2730 रूपये 05 अदद पैस व 05 अदद सट्टा पर्ची बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मु०अ०सं० 304/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम का पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. कुल 2730 रूपये
2. पांच अदद पैस
3. पांच अदद सट्टा पर्ची

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मोहित दीक्षित उपरोक्त:-

1- मु०अ०सं० 304/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अखिलेश दीक्षित उपरोक्त:-

- 1- मु०अ०सं० 304/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
- 2- अ०सं० 2581/2011 धारा 13 जुआ अधिनियम को० फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
- 3- अ०सं० 2833/2011 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट को० फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
- 4- अ०सं० 978/2008 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
- 5- अ०सं० 1128/2003 धारा 13 जुआ अधिनियम कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
- 6- अ०सं० 11/2016 धारा 13 जुआ अधिनियम कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
- 7- अ०सं० 66/19 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
- 8- अ०सं० 281/2022 धारा 3/4 जुआ अधिनियम कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मन्नु चौहान उपरोक्त:-

1- मु0अ0सं0 304/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राकेश उपरोक्त:-

1-मु0अ0सं0 304/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

2- अ0सं0 281/2022 धारा 3/4 जुआ अधिनियम कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राधाकृष्ण उपरोक्त:-

1- मु0अ0सं0 304/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

2- मु0अ0सं0 61/2023 धारा 147/148/149/323/504/506/344/452 थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1. निरीक्षक सुदेश कुमार कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
2. हे0कां0 कुलदीप कुमार कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
3. हे0कां0 सतीश कुमार कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
4. कां0 अंकुश कुमार कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
5. कां0 विनीत कुमार कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – जनपद फतेहगढ़

दिनांक :- 21.09.2024

दिनांक 21.09.2024 को माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी अमृतपुर/नगर श्री रवीन्द्र नाथ राय द्वारा मु0अ0सं0-60/2024 धारा-498ए/304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना राजेपुर में वाछित अभियुक्तगण 1. जयसिंह पुत्र भगवान सिंह, 2. वीरमती पत्नी जयसिंह, 3. शिल्पी उर्फ डॉली पुत्री जयसिंह निवासीगण ग्राम बदनपुर थाना राजेपुर के विरुद्ध नियमानुसार डुगडुगी पीटवाकर उदघोषणा (धारा 82 सीआरपीसी) को अभियुक्तगण के मुख्य द्वार पर चस्पा कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।





फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना नवावगंज

दिनांक- 21.09.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त ओमवीर पुत्र राजकुमार निवासी उम्मरपुर थाना नवावगंज जनपद फर्रुखाबाद मु०अ०सं०- 296/2004 वाद स०- 540/2007 धारा- 25 A ACT थाना नवावगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 21.09.2024 को मा० न्यायालय ए०सी०जे०एम० कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर जेल में बिताई गयी अवधि व 1000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



एपीओ - श्री जितेन्द्र सिंह



कोर्ट मोहरीर का० प्रिन्स तेवतिया



पैरोकार हे०का० विनीत कुमार



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना राजेपुर

दिनांक- 21.09.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त ग्रीश चन्द्र मिश्रा पुत्र सोनेलाल निवासी अम्बैदपुर मडैया थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 152/2015 वाद स०- 46/2018 धारा- 323,354,504,3(1)10 SC/ST ACT थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 21.09.2024 को मा० न्यायालय ADJ 02 कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा दोषसिध्द कर 04 वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



➤ एडीजीसी- श्री अनुज कटियार



➤ कोर्ट मोहरीर का० बन्टी कुमार



पैरोकार हे०का० देवेन्द्र कुमार